114

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग -192-I-16

प्रकरण क्रमांक: /२०१६ निगरानी

१- छटीला पुत्र कमला,
२- सियाराम
३- गुटई उर्फ रामदीन | पुत्रगण छटीला
४- मुरारी
५- शिवचरन
६- मुनेश पुत्र सियाराम

समस्त निवासीगण ग्राम खेरला, तेहसील-सबलगढ़, जिला मुरैना (म०प्र०) । ----- प्रार्थीगण

बिरुध्द

मांगीलाल खरे पुत्र कुढ़ेरी बाटव, निवासी, अम्बेडकर कालोनी, सबलगढ़ जिला मुरैना-म०प्र० ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, दिनांकी २५-८-१५, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३२।१३-१४ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपीलीय न्यायालयों ने अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है ।

४- यह कि, अपर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रार्थीगण की सुनवाई

क्रमशः----२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 192/एक/2016 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.6.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 32/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम खेरला तहसील सवलगढ़ में भूमि सर्वे क्रमांक 42 रकवा 0.75 आरे भूमि स्थित है इसका दिनांक 01.07.2000 से पूर्व अनावेदक एवं उसके भाई रामभंजन भूमि स्वामी थे। दिनांक 01.07.2000 को अनावेदक एवं उसके भाई द्वारा उक्त भूमि को आवेदकगण को राशी दो किश्तों में 90,000/– एवं 62,000/– में विक्रय कर दी गयी थी तभी से अनावेदक द्वारा आवेदकगण को भूमि का कब्जा सौप दिया गया था। उस समय पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित नहीं किया जा सका था। बाद में अनावेदक और उसके भाई द्वारा विक्रय पत्र सम्पादित करने से मना कर दिया जिसकी आवेदकगण द्वारा पुलिस थाना सवलगढ़ में रिपोर्ट भी की गयी थी अनावेदक के मन में वदयान्ती आने के कारण उनके द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के आधार पर गुण दोषों पर आदेश पारित नहीं	

करते एक तरफा आवेदकगण के विरूद्ध 14.06.2013 को आदेश पारित कर दिया है जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ को प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 15.10.2013 से निरस्त की गयी। तत्पश्चात् आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 20.08.2015 से अपील प्रचलन योग्य न मानकर निरस्त कर दी है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है, इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया था। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अन्तरिम स्वरूप का माना है जबकि वह अन्तरिम स्वरूप का न होकर अन्तिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य थी इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अपर आयुक्त एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है वह अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि वर्तमान प्रकरण में उसकी ओर

से 250 का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें विधिवत् सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 14.06.2013 पारित किया गया था जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसमें आधार लिया गया था कि उनके द्वारा भूमि पंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गयी है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज तहसील न्यायालय अथवा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः भूमि क्रय किया जाना प्रमाणित नहीं होने से अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र 250 भू–राजस्व संहिता का मान्य करते हुये बेजा कब्जा हटाये जाने के उपरान्त सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को निरस्त किया था जिसके बाद अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में अपील प्रस्तुत की गयी थी जो प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गयी है। इस संबंध में अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश में निश्कर्ष दिया है कि नायब तहसीलदार सवलगढ़ द्वारा दिनांक 26.12.2014 को प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लिखा गया है पूर्व में की गयी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सवलगढ़ के आदुशानुसार कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी आदेश के विरूद्ध अपील की कार्यवाही निरर्थक है। नायब तहसीलदार सवलगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही पुनः प्रारंभ होने से अंतरिम आदेश हुआ है जिसे अन्तिम आदेश नही माना जा सकता। उपरोक्त निश्कर्ष विधिवत् एवं सही होने से मान्य किये जाने योग्य है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त चंबल संभाग

मुरैना द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य